न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)
पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 45/2017

1. झिमादेवी पत्नी गोरूराम पुत्री मालाराम जाति जाट निवासी हनुमानजी की ढाणी तन बुगाला हाल भोडकी तहसील उदयपुरवाटी
2. जयकोरी देवी पत्नी रामदेवसिंह पुत्री मालाराम जाति जाट निवासी हनुमानजी की ढाणी तन बुगाला हाल भोडकी तहसील उदयपुरवाटी
3. बिमलादेवी पत्नी बीरबलराम पुत्री मालाराम जाति जाट निवासी हनुमानजी की ढाणी तन बुगाला हाल टोडी तहसील उदयपुरवाटी
4. सुनीतादेवी पत्नी प्रहलादराय धायल पुत्री मालाराम जाति निवासी हनुमानजी की ढाणी तन बुगाला हा कारी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
5. सन्तरादेवी पत्नी चन्दगीराम पुत्री मालाराम जाति जाट निवासी हनुमानजी की ढाणी तन बुगाला हाल कारी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—आवेदिकागणस

बनाम

1. बिहारीलाल
2. श्रीचन्द पुत्रान मालाराम जाति जाट निवासीगण हनुमानजी की ढाणी तन बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अं.धारा 212 रा.का.अ. व अं. आ. 39 नियम 1 व 2
तथा धारा 151 सीपीसी
निर्णय

निर्णय दिनांक 18.01.2019

आवेदिकागण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम हनुमानज की ढाणी तन बुगाला की सरहद में भूमि पुराने ख.न. 74 तादादी 40 बीघा 17 बिश्वा पुख्ता स्थित है जिनके मौजूदा नये ख.न. 139/0.04, 140/0.02, 141/0.04, 142/0.02, 143/10.220 कुल रकबा 10.34 है0 है जिसमें 1/3 हिस्सा आवेदिकागण व अनाबेदकगण तथा प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 4 के पिता स्व0 मालाराम का है और 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण नं. 5 लगायत 8 का एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण नं. 9 लगायत 17 का है। स्व0 मालाराम का 1/3 हिस्सा उसके वारिसान व उतराधिकारी आवेदिकागण व अनावेदकगण तथा प्रतिवादीगण नं. 3 व 4 को प्राप्त हुआ है। आवेदिकागण उक्त कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थना में प्रशनगत कृषि भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। आवेदिकागण के पिता मालाराम व माता श्रीमती गंगादेवी स्वर्गवास हो गया है जिनके वैद्य वारिसान व उतराधिकारी आवेदिकागण व अनावेदकगण नं. 3 लगायत 4 है आवेदिकागण कों उनके पूर्वजों से प्राप्त की गई पैत्रिक सम्पति है। जिसमें आवेदिकागण व अनावेदकगण तथा प्रतिवादीगण सं0 3 व 4 का बराबर बराबर हक अधिकार व हिस्सा है। अर्थात स्व0 मालाराम के 1/3 हिस्से की प्रशनगत भूमि में आवेदिकागण का 5/9 हिस्सा यानि प्रत्येक का 1/9, 1/9 हिस्सा एवं 4/9 हिस्सा अनावेदकगण तथा प्रतिवादी सं0 3 लगायत 4 का है। इसी प्रकार से कब्जा काश्त व स्वामित्व है तथा उपयोग उपभोग करते हैं और कुल प्रशनगत भूमि में 2/3 हिस्सा प्रतिवादीगण सं0 5 लगायत 17 का है हालांकि स्व0 मालाराम के 1/3 हिस्से की भूमि का राजस्व रिकार्ड अनावेदकगण के नाम दर्ज है जो गलत है आवेदिकागण का पिता व माता का स्वर्गवास हुआ तब उसके स्थान पर प्रशनगत भूमि में उनका 1/3 हिस्सा उसके सभी वारिसान आवेदिकागण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलिभगत करके आवेदिकागण को उनके हक अधिकार की पैत्रिक भूमि से वंचित करने की गलत मंशा से प्रशनगत कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा सम्पूर्ण का अन्तकाल भरवाकर व तस्दीक करवाकर खातेदारी दर्ज करवाई है जबकि आवेदिकागण

को प्रशनगत कृषि भूमि का गलत अन्तकाल भरवाकर खातेदारी दर्ज करवाई तब उनको सुनवाई बाबत कोई सूचना नही दी गई है और ना ही सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है। बल्कि अनावेदकगण ने बाला बाला ही विधिविरूद्ध व गलत कार्यवाही करके प्रशनगत भूमि में 1/3 हिस्से की भूमि सम्पूर्ण अपने नाम दर्ज करवाई है। जिनको कानूनी रूप से कोई हक अधिकार नही था। तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के मुताबिक आवेदिकागण एवं अनावेदकगण व प्रतिवादीगण सं0 3 व 4 का बराबर बराबर हक हिस्सा है। इस कारण स्व0 मालाराम के 1/3 हिस्से की प्रशनगत भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत दर्ज हो रहा है। आवेदिकागण का मुख्य विवाद स्व0 मालाराम के 1/3 हिस्से की प्रशनगत कृषि भूमि के संबंध में अनावेदकगण के साथ है । अनावेदकगण ने गलत रूप से कार्यवाही करके राजस्व रिकार्ड अपने नाम दर्ज करवासया है जिससे राजस्व रिकार्ड गलत दर्ज हो रहा है जिसको सही व दुरूस्त किया जाकर प्रशनगत कृषि भूमि में 1/3 हिस्से की प्रशनगत कृषि भूमि में रकबा 3.4066है0 में 0.1025 है0 कम कर 3.3041 है0 में आवेदकगण प्रत्येक को 1/9, 1/9 हिस्से के मुताबिक कुल 5/9 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है तथा अनावेदकगण व प्रतिवादीगण नं. 3 व 4 को प्रत्येक को 1/9, 1/9 हिस्से के अनुसार कुल क4/9 हिससे के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

हालांकि प्रशनगत कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत दर्ज चल रहा है जिसके संबंध में आज से पहले आवेदिकागण को कोइ जानकारी नही थी तथा वैसे भी आज तक आवेदिकागण को अपने हिस्से की प्रशनगत कृषि भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में कोई परेशानी भी पैदा नही हुई। आवेदिकागण ग्रामीण महिलायें हैं जिनको कानून व राजस्व रिकार्ड के बारे में भी ज्यादा जानकारी नही है लेकिन अनावेदिकागण ने दिनाकि 15.02.2017 को अपने हिस्से क प्रशनगत कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड के तहत वितीय सहायता प्राप्त करने के लिये पटवारी से जमाबंदी की नकल प्राप्त की तब पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त प्रशनगत भूमि का रिकार्ड आपके नाम दर्ज नही है।

प्रशनगत कृषि भूमि आवेदिकागण की पैत्रिक सम्पति है जिसमें आवेदिकागण का कानून के अनुसार हक हिस्सा व स्वामीत्व है तथा आवेदिकागण काबिज व आबाद हैं लेकिन अनावेदकगण गलत व अवैद्यानिक कार्यवाही करके आवेदिकागण के कब्जे व काश्त में अवरोध पैदा कर देगे और प्रशनगत कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करके अपनी गलत योजना में सफल हो गये तो आवेदिकागण को कई प्रकार के वाद पत्र पेश करने पडेंगे जिसमें आवेदिकागण का धन व समय बर्बाद होगा व अपार क्षति होगी। आवेदिकागण का प्रथमदृष्टया मामला है और सुविधा का संतुलन भी आवेदिकागण के पक्ष मे है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अनावेदकगण की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि आवेदकगण को प्रशनगत कृषि भूमि में उसके 5/9 हिस्सा अर्थात कुल भूमि में 5/27 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा पैदा नही करे तथा हरे पेड पौधे एवं मिट्टी खुदाई करके वेस्ट एण्ड डेमेज नही करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदकगण की गई। अनावेदकगण की और से वकील श्री नरेन्द्रसिंह शेखावत का वाद में वकालतनामा पेश हुआ तथा अनावेदकगण की और से जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदकगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया एवं वर्णित किया गया कि वादीगण का यह कहना गलत है कि मालाराम की हिस्सेदारी बतौर मालाराम के उतराधिकारी होने के नाते कभी भी आवेदकगण को वर्णित जमीन मे कोई हिस्सेदारी मिली है व आज उक्त भूमि पर काबिज व आबाद है व उपयोग उपभोग करते हैं जबकि सही बात यह है कि आवेदकगण की सगी बहनों प्रतिवादी नं. 3 व 4 ने उक्त वाद का प्रतिवाद किया है व मौके पर आज भी उक्त विवादग्रस्त जमीनें जिसको आवेदकगण ने विवादग्रस्त प्रशनगत कृषि भूमि बताया स्व0 लालाराम के वारिसानें में पुत्रान मालाराम के पुत्र बिहारीलाल व श्रीचन्द के 1/3 हिससे की भूमि पर कब्जा काश्त है व इसी अनुपात में अन्य वारिसान के 1/3, 1/3 भूमि कब्जा काश्त है आवेदकगण के कभी भी कब्जा काश्त नही रही केवल वाद को आधार बनाने के लिये झूठी बाते दर्ज की है इसलिये वाद व प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारीज फरमाया जावे। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में 2/3 हिस्सा प्रतिवादीगण नं. 5 लगायत 17 का है आवेदकगण का यह कहना कि उकत राजस्व रिकार्ड का 1/3 हिस्सा मालीराम के स्थान पर अनावेदकगण नं. 1 व 2 के नाम दर्ज है वो गलत है बल्कि सही बात यह है कि उक्त राजस्व रिकार्ड सही

जांच के बाद दर्ज किया गया है व अनावेदकगण नं. 1 व 2 मौके पर बंटवारा करके मालाराम के फौत होने के बाद पिछले करीब 23 वर्ष से कब्जा काश्त है व मालाराम के स्वर्गवास के समय रिकार्ड सही दर्ज किया गया था जो आज भी दर्जशुदा है राजस्व कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप आवेदिकागण ने गलत लगाया है जबकि राजस्व कर्मचारियों ने सही जांच करके विधिक वारिसान के नाम रिकार्ड अमल दरामद किया जो सही है आवेदिकागण को कोई सूचना नही दी गई या सूचना नही थी। वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड शामलाती है लेकिन यह तथ्य गलत किया है कि आवेदिकागण व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 17 वर्णित भूमि को आपस में बांटकर काश्त करते हो बल्कि सही बात यह है कि वर्णित भूमि अनावेदक नं. 1 व 2 प्रतिवादी नं. 5 लगायत 17 की कब्जे काश्त व रिकार्ड की भूमि है।शेष हिस्सेदारियां गलत दर्ज की है। वास्तव में उपरोक्त वर्णित भूमि में 1/3 प्रतिवादीनं. 9 लगायत 11 का ही है चाही गई हिस्सेदारियां गलत दर्ज की हैं वाद प्रार्थना पत्र खारीज होने लायक है। तथा अपने अतिरिक्त उतर में वर्णित किया गया कि आवेदिकागण के पिता मालाराम की मृत्यु 26 जनवरी 1995 को हुई थी तथा आवेदिकागण ने वाद 24.04. 2017 को पेश किया है पुत्रियों का हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में सहदायिकी अधिकार प्राप्त होने का प्रावधानो के प्रभाव भविष्यलक्षी है न कि भूतलक्षी इसलिये जब कानूनी प्रावधानों के अनुसार यदि पिता की मृत्यु 09.09.2005 में किया गया था, उकत प्रावधानों के प्रभाव भविष्यलक्षी है न कि भूतलक्षी इसलिये जब कानूनी प्रावधानों के अनुसार यदि पिता की मृत्यु 09.09.20085 से पूर्व हो चुकी है तो भी आवेदिकागण उक्त भूमि में हक अधिकार प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है इसलिये पार्थना पत्र खारीज किया जावे। आवेदिकागण में झीमादेवी का विवाह 1963 में जयकोरीदेवी का विवाह सन 1969 में, विमलादेवी का विवाह 1979 में व सुनीतादेवी का विवाह 1986 में हुआ था व तभी से वे अपने ससुराल अपने पति के घर रहती हैं व हिन्दू संस्कारों व रीति रिवाज के अनुसार भूत भात छूछक के सभी जिम्मेवारिया समय समय पर अनावेदकगण नं. 1 व 2 ही निभाते हैं न ही कभी आवेदिकागण ने उक्त भूमि की मांग की व न ही हक अधिकार जताये, इसलिये उक्त वाद व प्रार्थनापत्र मनगढंत तथ्यों पर आधारित होने से खारीज फरमाया जावे।

जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारन सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 रा.का.अधि. के निस्तारण के लिये न्यायालय को तीन बिन्दुओं जिनमे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति देखनी होती हैं।

1. प्रथम दृष्टया मामलाः— आवेदिकागण द्वारा ग्राम हनुमानजी की ढाणी तन बुगाला की सरहद में स्थित अपनी पैत्रिक कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। नकल जमाबंदी ग्राम. बुगाला संवत 2027 से 2030 के अनुसार भूमि ख.न. 74 तादादी 40 बीघा 17 बिश्वा की खातेदारी शोला माला पुत्र लाला कोम जाट सा.दे.खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नकल मिलान क्षैत्रफल ग्राम बुगाला तस्दीक वर्ष 1985 के अनुसार गत ख.न. 74 से नये ख.न. 1339/0.04, 140/0.02, 141/0.04, 142/0.02, 143/10. 22 है0 बनना प्रमाणित हैं। नकल जमाबंदी संवत 2067—2070 ग्राम हनुमानजी की ढाणी की भूमि ख.न. 143 रकबा 10.22 है0 की खातेदारी नेमीचन्द बनवारी भींवाराम श्रवणकुमार पुत्र श्योलाराम हि0 1/3 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीपल जोहड बुगाला हि0 1025 व0मी0 बिहारीलाल श्रीचन्द पिता माला हि0 3.3041 है0 दर हिस्सा 1/3 श्रीराम मनोहर सत्यवीर कैलाश पिता झाबर सुन्दरी पत्नी झाबर सुन्दरी पत्नी झाबर हि0 1/3 कोम जाट सा.दे.खातेदार राहिन नेमीचन्द पुत्र श्योलाराम हि0 1/12 श्रीराम मनोहर पि. झाबर हि0 1/5 रहन राज.ग्रा.बैंक अजाडीकला मूर्तहीन राहिन श्रीचन्द पुत्र माला हि0 1/6 रहन राज.ग्रा.बैंक शाखा जाखल मूर्तहीन राहिन बिहारीलाल पुत्र माला हि0 3.3375 है0 में से 1/2 रा.ग्रा. बैंक जाखल मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। तथा इसी जमांबंदी में भूमि ख.न. 139/0.04, 140/0.02, 141/0.04, 142/0.02 किता 4 कुल रकबा 0.12 है0 की खातेदारी नेमीचन्द बनवारी भींवाराम श्रवणकुमार पुत्र श्योलाराम हि0 1/3 बिहारीलाल श्रीचन्द पिता मालाराम हि0 1/3 श्रीराम मनोहर सत्यवीर कैलाश पि. झाबर सुन्दरी पत्नी झाबर हि0 1/3 कोम जाट दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त राजस्व रिकार्ड मुताबिक जमाबंदी संवत 2027 से 2030 के अनुसार आवेदिकागण व अनावेदकगण के पिता मालाराम के नाम से वादग्रस्त आराजी दर्ज रिकार्ड है। अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जबाब में आवेदिकागण

को अपनी बहन होना स्वीकार किया गया है। इसप्रकार प्रथम दृष्टया मामला आवेदिकागण का होना पाया गया है।

2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षतिः— चूंकि वादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकार्ड अनावेदकगण के नाम से दर्ज रिकार्ड होने से सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति आवेदकगण की होना प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के आधार पर तथा ता निर्णय मूल दावा पक्षकारान के मध्य वादबहूलता नही बढे आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 18.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ